संख्या-53/2020/1036/71-3-2020-एन0एम0-01/2019

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 24 सितम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध चिकित्सालय के लिए भूमि क्रय किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के पत्र संख्या-मे0का0अ0/भूमि/2020/40, दिनांक 10.01.2020, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण हेतु अधिग्रहण के समय चिकित्सालय परिसर में स्थित गाटा संख्या-435 रकबा 01 बीघा त्रुटिवश अधिग्रहण होने से छूट गया था। उक्त भूमि के क्रय मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 10.03.2015 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत जिलाधिकारी, अयोध्या के आदेश दिनांक 02.12.2019 के अनुपालन में भूमि मूल्य अनुमोदन समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से गाटा संख्या-435 रकबा 01 बीघा (0.253 हे0) स्थित ग्राम-कुशमाहा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जनपद-अयोध्या में रू0 33.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से चार गुना करते हुए कुल मूल्य रू0 33,39,600 का मूल्यांकन निर्धारित किया गया, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रधानाचार्य, अयोध्या के उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 10.01.2020 द्वारा गाटा संख्या-435 रकबा 01 बीघा (0.253 हे0) स्थित ग्राम-कुशमाहा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जनपद-अयोध्या के सम्बन्धित कास्तकारों से भूमि के क्रय हेतु रू0 33,39,600 स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

3- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या हेतु उपरिसन्दर्भित भूमि के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-47/2020/915/71-3-2020-61/2018टीसी-3, दिनांक 03.09.2020 द्वारा 80-मेडिकल कालेज, अयोध्या 60-भूमि क्रय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 33.40 लाख की धनराशि उपलब्ध हो गयी है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध चिकित्सालय के निर्माण हेतु सम्बन्धित कास्तकारों की ग्राम-कुशमाहा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जनपद-अयोध्या स्थित गाटा संख्या-435 रकबा 01 बीघा (0.253 हे0) भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने हेतु **रू0 33,39,600/- (रूपये तैंतीस लाख उन्तालीस हजार छः सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी द्वारा आहरित कर भूमि क्रय हेतु कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-80-मेडिकल कालेज,अयोध्या-60-भूमि क्रय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या:-53/2020/1036(1)/71-3-2020 तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, अयोध्या।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8. नियोजन-अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।